Government who seek voluntary retirement after completing 20 yeans of qualifying service are entitled to retiring pension, commutation of admissible portion of pension and the retirement gratuity.

(b) Yes, Sir. A re-employe^ military pensioner has also the option to count his past military service alongwith re-employed civil service, towards pension due to him on cessation of re -employment.

Provincial Councils in Sri Lanka

*340. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister Of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) by when the elections for the provincial councils in the northern and eastern regions in Sri Lanka are likely to be held;

(b) whether this issue was discussed in the meeting held in Delhi recently between our Prime Minister and the President of Sri Lanka; and

(c) if so, what was the outcome of the meeting?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS SHRI K. NATWAR SINGH)-, (a) It is hoped that elections *to* these two provinces can be held by about the middle of the year.

(b) Yes, Sir.

(c) I have answered this in part (a), sir.

2-3 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों का नियमित किया जाना

2327. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को 2-3 वर्षों की सेवा के बाद भी स्थायी नहीं किया जाता जबकि चतुर्थ श्रेणी से ऊपर की श्रेणियों के कर्मचारियों के मामलों में ऐसा नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार के भेदभाव को निर्धारित अवधि में समाप्त करने तथा उनकी नियुक्तियों को अन्य श्रेणियों के बराबर लाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी (समूह "घ") के कर्मचारियों सहित, सरकारी कर्मचारियों का स्थायीकरण स्थायी पदों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । इसलिए जब कि कुछ मामलों में कर्मचारी द्वारा परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसे तत्काल स्थायी किया जा सकता है किन्तु अन्य मामलों में परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भी किसी कर्मचारी को अपने स्थायीकरण के लिए किसी स्थायी पद के उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है ।

(ग) और (घ) भाग (क) और (ख) के उत्तर में दर्शाई गई स्थिति को देखते हुए स्थायीकरण के मामले में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है ।

Clearance of Projectg of West Bengal

2328. SHRI MOSTAFA BIN QUA-SEM: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the details of projects in West Bengal which have been delayed for